(3)

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 36 / 2017

बउनवान

रामकरण पुत्र धन्नालाल जाति–मीणा निवासी बैंगना तहसील–बारां जिला–बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री हरीओम चतुर्वेदी, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 07.03.2019

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 07.10.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बैंगना, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 187, 188, 131 कुल रकवा 0.25 हैक्टर किस्म चारागाह पर मकान डीपीसी एवं काश्त करने पर, अतिक्रमी मानकर बेदखली, 188 / –रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट को बिना सुनवायी एवं जवाबदेहीं का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष लिये उक्त निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अपीलांट ने उक्त आराजी से अपना कब्जा कब्जा तीन वर्ष पूर्व हीं हटा लिया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.10.2015 निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.09.12 17:59:42 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर ... कर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बिना एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

गया है। जबकि अपीलांट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अपीलांट ने उक्त आराजी से तीन वर्ष पूर्व से हीं कब्जा छोड रखा है। वर्तमान में उक्त आराजी पर किसी भी व्यक्ति का कोई कब्जा नहीं है, भूमि खाली पडी हुयी है। उसपर डीपीसी करने का जो आरोप लगाया गया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका देखे एवं बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये लगाया गया है। आदेश पारित करने से पूर्व पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई दस्तावेजात् को रेकार्ड पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व से हीं मानस बनाकर अपने विरूद्व आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.10.2015 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में उक्त आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 1166/13 निर्णय दिनांक 13.12.2013 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा अपीलांट को विवादित चारागाह भूमि ख0नं0 187, 188, 131 कुल रकबा 0.25 है0 पर काश्त एवं मकान डीपीसी बनाने का दोषी मानकर, उक्त आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को आदेश पारित करने से पूर्व विधिवत सुनवाई का नोटिस जारी कर, अपीलांट अनुपस्थित रहने पर सजायाब किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने में मिसल नम्बर 1166/13 निर्णय दिनांक 13.12.2013 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 1104/15 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2015 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.09.02 17:59:42 IST
Reason: SelfAttested

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)